क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

269
दिसंबर
2001

वर्ष 2001 की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

जनवरी

- भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. विमल जालान ने बैंक की हिन्दी वेबसाइट का उद्घाटन किया।
- निजी क्षेत्र में नये बैंकों के लाइसेंस संबंधी दिशानिर्देश संशोधित किये गये। दिशानिर्देश सबसे पहले 1994 में जारी किये गये थे।
- बैंक वित्त पर 50 प्रतिशत का ब्याज अधिभार समाप्त किया गया।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने आयात वित्त पर ब्याज दर अधिभार तथा अतिदेय निर्यात बिलों पर न्यूनतम ब्याज दर निर्धारण हटाया।
- 'भुगतान और निपटान प्रणाली', 'दिवालियापन कानून' तथा 'अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण और लेखा परीक्षा' पर सलाहकार दलों ने रिपोर्टें प्रस्तुत कीं।
- राज्य सरकारों के लिए स्वैच्छिक प्रकटीकरण मानदंडों पर मुख्य समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने गुजरात के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमाएँ और ओवरड्राफ्ट विनियम शिथिल किये।

फरवरी

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'अर्थोपाय अग्रिम योजना 2001' नामक अर्थोपाय अग्रिम योजना संशोधित की।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक दर 8 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत और नकदी प्रारक्षित अनुपात 8.5 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत किया ।
- 'बीमा विनियमन' पर सलाहकार समूह ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह समूह दिसंबर 1999 में गठित किया गया था।
- रिज़र्व बैंक ने विदेशी तत्वावधान के पूंजी निवेशकों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और साथ ही अनिवासी भारतीयों/विदेशी निगम निकायों द्वारा प्रिंट मीडिया क्षेत्र में लगी भारतीय कंपनियों के शेयरों तथा परिवर्तनीय डिबेंचरों के ग्रहण के लिए सुविधा समाप्त कर दी है।
- 2001 के भूकम्प से प्रभावित निर्यातकों को राहत पहुँचाने के लिए पोतलदान-पूर्व ऋण का विस्तार, देयराशि को अल्पावधिक ऋण में बदलना तथा आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू किया जाना जैसी रियायतें देने का निर्णय लिया गया।
- वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया कि अतिदेय निर्यात बिल के संबंध में 25 प्रतिशत वार्षिक (न्यूनतम) दर पर ब्याज का निर्धारण वापस ले लिया गया। ब्याज दर में संशोधन केवल नये अग्रिमों पर ही नहीं बल्कि शेष अवधि के लिए मौजूदा अग्रिमों पर भी लागू होगा।
- बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे स्टाफ को दिये गये ऐसे सभी ऋणों और अग्रिमों पर 20 प्रतिशत का जोखिम भार लगायें जो अधिवर्षिता लाभों तथा फ्लैट/मकान को बंधक रखकर सुरक्षित किये गये हों तथा उन्हें तुलनपत्र की अनुसूची 9 के अंतर्गत 'अग्रिमों' में स्टाफ को स्वीकृत ब्याज वाही ऋणों और अग्रिमों में दर्शायें। तथापि अपने स्टाफ को दिये गये सभी गैर-ब्याज वाही ऋणों और अग्रिमों को तुलनपत्र की अनुसूची 11 में 'अन्य आस्तियाँ' के अंतर्गत 'अन्य' में शामिल करें।

मार्च

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूंजी खाते के उदारीकरण के लिए अधिसूचनाएँ जारी की।
- सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक व्यापारियों के रूप में कार्य करने के लिए बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा (सहायक कम्पनी की स्थापना की जाएगी) एच एस बी सी प्राइमरी डीलरशिप (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, स्टैण्डर्ड चार्टर्ड - यूटी आई सिक्योरिटीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सैद्धान्तिक स्वीकृति दी।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे नायक समिति की सिफारिशों के अनुरूप लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण के प्रावधान के संबंध में शाखा पदाधिकारियों को पर्याप्त विवेकाधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन करने में और सुधार करें।
- मांग मुद्रा बाज़ार से गैर-बैंकों को सूचीबद्ध करने पर तकनीकी समूह ने अपनी रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की।
- बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे अगले तीन वर्ष के भीतर कृषि क्षेत्र के सभी पात्र उधारकर्ताओं को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए कार्य योजना तैयार करें।
- सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह निर्देश दिया गया था कि वे प्रवर्त्तक बैंक की वेबसाइट पर अपने तुलन-पत्र के साथ सहायक कम्पनियों के वार्षिक खाते और सहायक कम्पनियों के सम्बन्ध में निदेशकों की रिपोर्ट उपलब्ध कराएँ।
- यह निर्णय लिया गया कि यदि कोई पुनर्गठित खाता क्रमशः मानक और अवमानक के रूप मे वर्गीकृत करना जारी रखा जाता है तो, यदि आस्ति पूरी तरह से संरक्षित है और ब्याज में त्याग, यदि कोई हो, तो उसे बट्टे खाते डाला जायेगा या उसके लिए प्रावधान किया जायेगा।
- वित्तीय संस्थाओं से कहा गया कि वे वित्त वर्ष 2000-01 से अपने प्रकाशित

वार्षिक लेखे में कतिपय महत्त्वपूर्ण वित्तीय अनुपात/ आँकड़ों को प्रकट करें । ऐसे प्रकटीकरण 'लेखा संबंधी टिप्पणी' के भाग के रूप में होंगे, ताकि इस तथ्य के बावजूद कि ऐसी सूचना प्रकाशित वार्षिक लेखे में कहीं अन्यत्र भी हो सकती हैं, लेखा परीक्षक सूचना का प्रमाणीकरण कर सकें ।

- यह स्पष्ट किया गया कि निर्धारित लक्ष्य की तुलना में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम में हुई कमी के बराबर नाबार्ड/सिडबी में रखी गयी जमाराशियों पर 100 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा क्योंकि ये जमाराशियाँ ऐसी आस्तियों में कमी के बदले में हैं जिन पर 100 प्रतिशत जोखिम भार लगता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा स्वीकार किये जानेवाले जमाराशियों में ब्याज की अधिकतम दर 16 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत कर दी ।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार को उपलब्ध अर्थोपाय अग्रिम की सीमा ब्याज की दर और बैंक के पास रखी जानेयोग्य न्यूनतम बकाया राशि की सीमा पुनर्निधारित की।

अप्रैल

- 2001-2002 के लिए मौद्रिक तथा ऋण नीति घोषित की गयी। (देखें बॉक्स)।
- 5 करोड़ रुपये तक की बकाया राशि वाली गैर-निष्पादक आस्तियों की देय राशियों के निपटान के संबंध में सरल, गैर-विवेकाधीन तथा गैर-विभेदक प्रणाली संबंधी दिशानिर्देशों का परिचालन 30 जून 2001 तक बढ़ा दिया गया।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे भारतीय बैंक संघ द्वारा तैयार की गयी और भारत सरकार द्वारा मंजूर की गयी संशोधित शिक्षा संबधी ऋण योजना लागू करें। इससे पूर्व रिज़र्व बैंक ने जुलाई 1999 में सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अंतर्गत, शिक्षा संबंधी ऋण योजना जारी की थी । बैंकों को सूचित किया गया कि योजनाएँ अलग हैं और किसीके अधिक्रमण में नहीं है ।
- वर्ष 2001-02 से निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए संस्तुत लेखा परीक्षा फर्मों को कतिपय न्यूनतम मानकों को पूरा करना होगा।
- रिज़र्व बैंक ने सैटेलाइट डीलरों के लिए चलनिधि सहायता समाप्त की ।
- बैंकों को यह स्वतंत्रता दी गयी कि वे व्यक्ति और संयुक्त हिन्दू परिवारों को छोड़कर अन्य निकायों की बड़ी जमाराशियों के अवधि पूर्व निकासी रोक सकते हैं, बशर्ते जमाकर्ता को पहले ही सूचना दी गयी हो।
- बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे ऋण करार में एक इस शर्त को शामिल करें जिसमें उधारकर्ता इसके लिए सहमत हो कि यदि वे चूककर्ता बन जाते हैं तो उनका नाम प्रकट कर दिया जाएगा।
- भारतीय रिज़र्व बैंक सेबी तकनीकी समिति ने बैंकों का शेयरों में निवेश तथा शेयरों और अन्य संबंधित निवेशों पर अग्रिमों पर दिशानिर्देशों की समीक्षा की ।
- बेहतर पारदर्शिता के खातिर बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के संदिग्ध या हानि संवर्ग के चूककर्ताओं की सूची का छमाही रूप से परिचालन करें।
- नीलामी में पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाने तथा द्वितीय बाजार के सौदों को तात्कालिक आधार पर निपटाने के लिए जून 2001 से एक इलेक्ट्रॉनिक निगोशियेटेड डीलिंग सिस्टम स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
- बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, प्राथमिक व्यापारियों और द्वितीय व्यापारियों को यह निर्देश दिया गया कि 30 जून 2001 से वाणिज्य पत्रों में केवल डिमैट रूप में निवेश करें और रखें। इन संस्थाओं की बहियों में स्क्रिप के रूप में रखे गये बकाया निवेश भी 31 अक्तूबर 2001 तक डिमैट रूप में परिवर्तित किये जाने थे।
- शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्रस्तावित अन्तरिम विवेक-सम्मत उपायों का उद्देश्य जमाकर्ताओं और सदस्यों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है (देखें बॉक्स)।
- नयी शिखर पर्यवेक्षी संस्था का प्रस्ताव जो अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में सम्पूर्ण निरीक्षण/ पर्यवेक्षी कार्यों को अपने अधिकार में लेगी।

मौद्रिक और ऋण नीति : 2001-2002

- निर्यात ऋण पर 1 से 1.5 प्रतिशत अंकों से ब्याज दर कम करने और निर्यात ऋण पुनर्वित्त युक्तिसंगत बनाने के उपाय ।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के अगले चरण पर जाने के उपाय : बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों को बैक-स्टॉप सुविधा सहित अन्य उपायों का विस्तृत पैकेज ।
- प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात और लचीला, प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की बकाया राशि पर ब्याज में वृद्धि ।
- मूल उधार दर मानदंड उदारीकृत ।
- वरिष्ठ नागरिकों द्वारा रखी गयी जमाराशियों पर उच्चतर ब्याज दर देने के लिए बैंकों को अनुमति ।
- शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने के लिए विवेकपूर्ण उपाय
- रिज़र्व बैंक वित्तीय संस्थाओं में अपने स्वामित्व का विनिवेश करके अपनी भूमिका सरल बनाएगा ।
- रिज़र्व बैंक से ऋण प्रबंधन कार्य अलग करने का स्तर निश्चित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।
- शेयर बाज़ारों में बैंकों के निवेश पर संशोधित दिशानिर्देश अगले परामर्शों के बाद मई 2001 से प्रभावी ।

- उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसरण में जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी- अनुपात को चरणबद्ध रूप में शहरी सहकारी बैंकों पर भी लागू कर दिया गया है।
- लाइसेंस प्राप्त शहरी सहकारी- बैंकों के लिए शाखा लाइसेंसीकरण की नीति संशोधित की गयी ।
- वित्तीय संस्थाओं से कहा गया कि 30 जून 2001 तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर प्रसंस्करण किया जाए और तत्संबंधी निर्णय यथाशीघ्र, लेकिन 30 सितम्बर 2001 तक ले लिया जाए।
- यह स्पष्ट किया गया कि यदि किसी ऋण का ब्याज और/या मूलधन की किस्त 31 मार्च 2002 को समाप्य वर्ष से 180 दिन से अधिक समय के लिए अतिदेय रहे तो वित्तीय संस्थाएँ ऐसी ऋण सुविधा को गैर-निष्पादक समझें।
- रिज़र्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओंकी सूचना और दिशा-निर्देश के लिए, वित्तीय संस्था के यूनिवर्सल बैंक के रूप में परिवर्तित होने हेतु अनेक परिचालनात्मक और विनियामक मामलों की गणना की ।

मई

- चलनिधि समायोजन सुविधा संशोधित की।
- बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए विशेष निधि सुविधा संशोधित की गयी।
- यह विचार करते हुए कि ऋणगत हानियों के लिए उच्चतर प्रावधान करने से बैंकों की समग्र वित्तीय स्थिति में वृध्दि होगी और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता बढ़ेगी, बैंकों से यह अनुरोध किया गया कि वे स्वैच्छिक रूप से वांछनीय परंपरा के रूप में न्युनतम विवेक-सम्मत स्तरों से काफी अधिक के प्रावधान करें ।
- इक्विटी के बैंक वित्त पोषण और शेयरों में निवेश के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए। ये दिशा निर्देश पहली नवंबर 2000 में जारी किये गये। इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत , बैंक , शेयरों में 5 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। यह उच्चतम सीमा बैंक के पूंजी बाजार में सभी रूप में निधि और गैरनिधि आधारित कुल अरक्षितता पर लागू होगी ।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने आंकडों का 'प्रसार' पर सलाहकार समूह की रिपोर्ट प्रकाशित की।
- बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की बकाया राशि की लोक अदालतों के माध्यम से समझौता द्वारा निपटान के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये गये।
- फिल्म उत्पादन को बैंकों द्वारा वित्तपोषण के लिए दिशानिर्देश जारी किये गये ।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

शहरी सहकारी बैंकों के लिए, उनके सदस्यों तथा जमाकर्ताओं के हित में विवकेपूर्ण उपाय मजबूत करने के लिए निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव है:

- किसी व्यक्ति अथवा अन्य कंपनियों को शेयर की जमानत पर प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: ऋण देने के नये प्रस्ताव न करें ।
- शेयर दलालों को दिये गये विद्यमान ऋण या शेयरों में प्रत्यक्ष निवेश जल्द से जल्द वापस ले लिये जाएं ।
- मांग/नोटिस मुद्रा बाज़ार में दैनिक आधार पर उनकी कुल उधारियाँ पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत में उनकी सकल जमाराशियों के 2.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- वे जून 2002 तक अन्य शहरी सहकारी बैंकों के पास अपनी मीयादी जमाराशियाँ न बढायें तथा मौजूदा मीयादी जमाराशियों का समापन न करें ।
- मार्च 2002 तक सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के सांविधिक चलनिधि अनुपात धारिता में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए 15 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक जिनकी जमाराशियों 25 करोड़ रुपये और उससे अधिक हैस के लिए 10 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत और अन्य गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए शून्य से बढकर 10 प्रतिशत ।
- अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की सभी श्रेणियों के लिए पहली अप्रैल 2003 से शहरी सहकारी बैंकों को अपनी निवल मांग और मीयादी देयाओं का 25.0 प्रतिशत समस्त सांविधिक चलनिधि आस्तियाँ केवल सरकारी और अनुमोदित प्रतिभूतियों में बनाये रखनी होंगी ।
- समस्त अनुसूचित तथा बडे शहरी सहकारी बैंकों को अपने निवेश केवल रिज़र्व बैंक के पास रखे एसजीएल खाते में अथवा सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों के पास रखे ग्राहक एसजीएल खाते में सरकारी प्रतिभूतियों में ही रखने होंगे ।

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'प्रतिभूति बाज़ार विनियमन' पर सलाहकार समूह की रिपोर्ट का पूरा पाठ जारी किया।

जून

- गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में प्रकटीकरण प्राप्त करने और निजी स्थानन द्वारा किये गये निवेशों के संबंध में, विशेषकर साखदर निर्धारण-रहित लिखितों में किये गये निवेशों पर ऋण जोखिम विश्लेषण सतर्कता बरने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये गये ।
- बैंकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों और रिजर्व बैंक निरीक्षकों द्वारा गैर-निष्पादक आस्तियों के आकलन में मतभिन्नता को कम करने की दृष्टि से उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल और सहज मार्गदर्शी दिशानिर्देश प्रश्नोत्तर रूप में जारी किये गये।
- इन्टरनेट बैंकिंग संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए।
- वित्तीय संस्थाओं से कहा गया कि वित्तीय संस्था के लिए ऋण सीमा के नर्धारण हेतु पूंजी-पर्याप्तता मानक के अंतर्गत यथा परिभाषित पूंजी निधि की अवधारणा में टियर I और टियर II दोनों पूंजी और करेंसी स्वैप, ऑप्शंस, आदि जैसे अन्य डेरिवेटिव उत्पाद में किये गये वायदा संविदाएँ उनके प्रतिस्थापन लागत पर शामिल होंगे, लेना आवश्यक हैं ।
- अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विभिन्न संविभागों में आस्ति देयता प्रबंध संबंधी दिशानिर्देशों की घोषणा की गई और उसे ऐसी कंपनियों पर लागू किया गया जिनकी आस्तियां 31 मार्च 2001 के तुलन-पत्र के अनुसार 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक हों अथवा उनकी सार्वजनिक जमाराशियां 20 करोड़ रुपये या उससे अधिक हों ।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है कि संस्था में आस्ति देयता प्रबंध प्रणाली का प्रारंभिक काम करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी या किसी अन्य वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक आस्ति देयता प्रबंध समिति गठित करें तथा उसमें अन्य विशेषज्ञों को भी सदस्य के रूप में रखें ।
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा साख पत्र जारी करके प्राप्त की गयी जमाराशियों को सार्वजनिक जमाराशियों की परिधि से छूट देने का निर्णय लिया गया;

अगस्त

- आन्तरिक और बाह्य घटकों से प्रभावित ऐसी अर्थक्षम नियमित संस्थाओं के कम्पनी ऋणों की पुनर्संरचना करने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया-तंत्र उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक त्रि-स्तरीय कम्पनी-ऋण पुनर्संरचना (सी डी आर) प्रणाली की परिकल्पना की गयी जो गैर-सांविधिक, स्वैच्छिक प्रक्रिया तंत्र है और ऋणकर्ता और ऋणदाता तथा अन्त:ऋणदाता करारों पर आधारित है, यह संरचना बी आइ एफ आर, डी आर टी तथा अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के अधिकार क्षेत्रसे बाहर है। उक्त सी डी आर प्रणाली केवल उन बहु-बैंकीय/संगठित ऋणों/ सहायता संघीय खातों पर लागू की जाएगी जो मानक और अवमानक श्रेणी के हैं और जिनकी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति बकाया अरक्षितता (जोखिम) 20 करोड़ रुपये या उससे अधिक की है।
- वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया कि वे अपने कर्मचारियों को दिये गये उन सभी ऋणों और अग्रिमों पर 20 प्रतिशत का जोखिम भारांक लगायें जो अधिवर्षिता लाभ से तथा फ्लैट/मकान आदि को बंधक रखकर सुरक्षित किये गये हों। उनके कर्मचारियों को दिये गये अन्य सभी ऋणों और अग्रिमों पर 100 प्रतिशत का जोखिम भारांक दिया जाए।
- यह स्पष्ट किया गया कि ऋणजोखिम संबंधी मानदण्ड वित्तीय संस्थाओं पर भी लागू हैं, केवल उनका पुनर्वित्त संविभाग इसका अपवाद है, तथापि विवेक-सम्मत परिदृश्य की दृष्टि से यह अपेक्षित है कि ये संस्थाएं पूंजी निधियों/ संबंधित वित्तीय संस्थाओं की विनियामक पूंजी के संबंध में जोखिम संबंधी अपनो मानदण्ड अपने-अपने बोर्डों के अनुमोदन से बनायें।
- यह निर्णय लिया गया कि 31 अक्तूबर 2001 से वित्तीय संस्थायें जो भी नये निवेश करें तथा जो भी बांड, डिबेंचर, निजी स्थानन या अन्य रूप में निवेश करें वे केवल डीमैट रूप में हों । प्रतिभूति रूप में रखे सभी निवेश 30 जून 2002 तक डीमैट रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए।
- आस्ति देयता प्रबंध से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश वित्तीय संस्थाओं को जारी किया गया जिसमें तुलन-पत्र से इतर मदों को रखने तथा ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण के लिए लेनदेन बही में प्रतिभूतियों को रखने के लिए समय सारणी को भी शामिल किया गया। ये दिशानिर्देश पहले जून 2001 में जारी किये गये।

सितम्बर

- भारतीय रिज़र्व बैंक- सेबी तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रयोगात्मक रूप से यह निर्णय दिया गया है कि बैंकों को पूंजी बाजार के प्रति बैंकों की अरक्षितता (जोखिम) के लिए निर्धारित 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के अंदर मार्जिन व्यापार के लिए शेयर ब्रोकरों को कुछ शर्तों के अधीन वित्त प्रदान कर सकते हैं।
- भारत सरकार से परामर्श करके चुनिंदा उत्पादों के भारी मूल्यवाले निर्यातों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतिस्पर्धी हैं और उच्च स्तर के मूल्य-योजन से युक्त है, एक विशेष वित्तीय पॅकेज तैयार किया गया। यह पैकेज निम्नलिखित के लिए लागू किया गया: क) औषधी उत्पाद ख) कृषि रसायन ग) परिवहन उपकरण घ) सीमेन्ट ङ) लोहा और इस्पात छड़ें और च) बिजली मशीनें

आ. एन. 35646/79 बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या 24 Regd. No. TECH/47-290/MBI-2001
29 तथा 30 दिसंबर 2001 को भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित

- निर्यात ऋण के लिए ब्याज की उच्चतम सीमा में 31 मार्च 2002 तक की अवधि के लिए सभी उधारकर्ताओं के लिए 1.0 बिन्दु तक की कमी की घोषणा की गयी। तदनुसार बैंक निर्यातकों से जो अधिकतम दर वसूल कर सकते हैं उसे संशोधित करके 180 दिनों तक के पोतलदानपूर्व के लिए और 90 दिनों तक के पोतलदानोत्तर ऋणों के लिए अब इसकी मूल उधार दर से 2.5 बिन्दु कम कर दी गयी।

अक्तूबर

- मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा की गयी। (देखें बॉक्स)
- यह निर्णय लिया गया कि बैंक मार्च 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष से अपने तुलन-पत्रों में *खातों पर टिप्पणियां* में निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटीकरण करेंगे; (i) गैर-निष्पादक आस्तियों के संबंध में कार्रवाई करना अथवा प्रावधान करना तथा (ii) निवेशों में होनेवाले मूल्यह्रास के संबंध में प्रावधान करना।
- बैंकों को यह छूट दी गयी है कि यदि वे चाहें तो नकदी ऋण का घटक 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर अथवा *ऋण घटक* को 80 प्रतिशत से अधिक करके, जैसी भी स्थिति हो, कार्यकारी पूंजी की सीमाओं को 10 करोड़ रुपये और अधिक करने के लिए कार्यकारी पूंजी की संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार के निर्णयों के अपने नकदी प्रबंध पर पड़नेवाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षा की जाती है कि बैंक कार्यकारी पूंजी के दोनों में से प्रत्येक घटक को उपयुक्त महत्त्व देंगे।
- बीमा कंपनियों को सामान्य बीमा मेन्युअल के प्रावधानों के अंतर्गत कवर मामलों को छोड़कर कतिपय शर्तों के अधीन सामान्य बीमा पॉलिसियों के मामले में विदेशी मुद्रा के दावों को विदेशी मुद्रा में निपटान की अनुमति दी गयी ।
- यह प्रस्ताव किया गया कि शहरी सहकारी बैंकों को कुछ मानदण्डों के अधीन शेयरों की जमानत पर व्यक्तियों को ऋण मंजूर करने की अनुमति दी जाए।
- शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अपनी सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी धारिता का निर्धारित स्तर प्राप्त करने के लिए समय-सीमा को संशोधित करने की अनुमति दी गयी ।
- यह स्पष्ट किया गया कि अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक पूंजी-पर्याप्तता संबंधी मानदण्डों को मार्च 2004 तक और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक मार्च 2005 तक क्रमिक रूप में प्राप्त कर सकते हैं।
- विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त सुझावों/जिज्ञासाओं के आधार पर निवेशों के वर्गीकरण और मूल्य आकलन पर वित्तीय संस्थाओं को एक व्याख्यापरक परिपत्र जारी किया गया।

नवम्बर

- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जनता की जमाराशियों पर जो अधिकतम ब्याज दर अदा कर सकती हैं, उसे पहली नवंबर 2001 से 14.0 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दिया गया है।
- यह निर्णय लिया गया कि प्रकाशित तुलन-पत्र की तारीख के बाद बैंकों द्वारा देशी या विदेशी चलपूंजी के ज़रिये एकत्रित पूंजी को उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा ।
- चमड़ा और चमड़े की वस्तुओं और वस्त्रों का, उच्च मूल्य निर्यातों के लिए विशेष वित्तीय पैकेजों के लिए पात्र उत्पादों में समावेश किया गया । यह पैकेज चयनित उत्पादों के लिए पहली बार सितंबर 2001 में शुरु किया गया ।
- रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया कि सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत उधारकर्ताओं को जिलों के सभी बैंकों से 'कुछ देय नहीं' प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए बल दिये जाने से कोई असुविधा नहीं होती है।

दिसंबर

- प्राधिकृत व्यापारियों और पूर्ण-मुद्रा परिवर्तकों को सूचित किया गया कि वे अपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन करने वाली सभी शाखाओं, खास तौर पर हवाई अड्डों तथा पर्यटन केंद्रों पर स्थित शाखाओं में तत्काल प्रभाव के यात्री चेकों के लिए और पहली जनवरी 2002 से करेंसी नोटों के लिए यूरो परिवर्तन दरें प्रदर्शित करें। रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारियों और पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को यह भी सूचित किया कि वे यूरों की शुरुआत होने पर निवासियों के पास विधिमान्य मुद्राओं में रखी राशियों को यूरो में बदलें ।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियों की सुविधा की उपलब्धता घोषित की ।

रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा वर्ष 2001-02 की मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा की घोषणा

- बैंक दर को 0.50 प्रतिशत कम किया जिससे यह 7.0 प्रतिशत mसेIघटटकर 6.50 प्रतिशत पर आ गई है । मई 1973 से अब तक की यह सबसे कम दर है ।
- रिज़र्व बैंक ने सीआरआर को 2.0 प्रतिशत कम किया हैं और यह 7.50 प्रतिशत से घट कर 5.50 प्रतिशत हो गई हैं । रिज़र्व बैंक ने सीआरआर पर उपलब्ध अधिकांश रियायतों को भी समाप्त कर दिया है ।
- पात्र सीआरआर शेष की राशियों पर दी जाने वाली ब्याज दर को और बढ़ाकर बैंक दर के समतुल्य अर्थात 6.50 प्रतिशत कर दिया गया है (21 अप्रैल 2001 तक यह दर 6.0 प्रतिशत और उससे पहले 4.0 प्रतिशत थी) ।
- वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय जारी रहेंगे ।
- क्रेडिट डिलीवरी के लिए रिज़र्व बैंक ऋण प्रणाली में बैंकों को परिचालनात्मक लोचशीलता प्रदान करेगा ।
- बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वरा गैर एसएलआर निवेशों पर पेनी नज़र रखने के लिए रिज़र्व बैंक ने कदम उठाये ।
- रिज़र्व बैंक चालू खाता सुविधा को औचित्यपूर्ण बनाया जा रहा है ।

क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

अपने पाठकों के लिए सुखी और समृध्द नववर्ष की कामना करता है

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑल्को कॉर्पोरेशन**, शाह ॲण्ड नहार इंडस्ट्रिअल इस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में मुद्रित । **वार्षिक शुल्क : 12 रुपये मात्र । ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन विभाग (विक्री विभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड, पो. बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें । इंटरनेट www.cir.rbi.org.in /hindi पर भी उपलब्ध ।**